दि. 12.8.24 को ...

SDO

2.08.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की आराजी है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसे में मौके व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर वाद बिबिधता बढ़ेगी। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाते है। कि प्रार्थीगण की आराजी भूमि में अतिक्रमण न स्वयं करें न अन्य किसी से करावें। प्रार्थीगण को काश्त मे रुकावट पैदा न करें। वादग्रस्त

भूमि मौजा गड़ागोकल में खा. सं. 113 ख.सं. 1439/44, 1462/2 किता 2 रकबा 0.7446 है. में मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली पैरवल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी